

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 320] नई दिल्ली, मंगलवार जुलाई 10, 1984/आषाढ़ 19, 1906
N.O. 320 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 10, 1984/ASADHA 19, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

कलकत्ता, 10 जुलाई, 1984

का.आ. 487(अ).—पटसन (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण आदेश, 1961 की धारा 8 द्वारा प्रदान की गई और सरकार की अधिसूचना के साथ जो कि पिछले वाणिज्य मंत्रालय के (विदेश व्यापार विभाग) संख्या का. आ. 517 (ई) दिनांक 25 मितम्बर, 1973 को पकी गई थी, की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डी.आर. वाधू, पटसन उपायुक्त, कलकत्ता एतद्वारा 876.74 रु. सौ बीग अधिकतम कीर्तिगर्भाणी मूल्य निर्दिष्ट करता हूँ। जैसाबी -टवील्स (यह पटसन वस्त्र की एक किस्म है) के

44½"×26½" साम्य वजन सिला किमारा 44"×26½" सिला के आकार का 2½ पौण्ड प्रति थैला, 6×8.3 नीले, सूखे तथा अन्य मामलों में वर्तमान भारतीय मानक संस्थान विनिर्देशन (संख्या आई. एस. : 2566—1965 अद्यतन संशोधित) के समूह होगा, जो कि जुलाई, 1984 में खरीदे और बेचे जा सकते हैं।

2. इस अधिसूचना के अधीन निश्चित किया गया मूल्य उत्पादन शुल्क एवं विक्री कर छोड़ कर होगा। जो क्रेता द्वारा असल पर वणिहनिर्माणी मूल्य के अतिरिक्त अदा किया जाएगा।

[फा. नं. 8/3/84-जूट]

डी. आर. दास, पटसन उपायुक्त

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

(Office of the Jute Commissioner)

NOTIFICATION

Calcutta, the 10th July, 1984

S.O. 497(E).—In exercise of the powers conferred by Clause 8 of the Jute (Licensing and Control) Order, 1961, read with the Notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce (Department of Foreign Trade) No. S.O. 517(E) dated the 25th September, 1973, I. D. R. Das, Deputy Jute Commissioner, Calcutta hereby fix Rs. 876.74 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B. Twills (a variety of jute taxtiles) of the size 44½"x26½" HD. W.I.P. 44"x26½" HD. 4½ lbs. per bag, 6x8.3 blue, drysewn and conforming in all other respects to the current ISI—specification (No. IS2566—1965 as amended up-to-date) shall be purchased or sold during the month of July, 1984.

2. The price fixed under this notification shall be exclusive of duty of excise and sales tax which shall be paid in addition to ex-factory price by the purchaser at actuals.

[F. No. 8/3/84-Jute]

D. R. DAS, Dy. Jute Commissioner